

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १८ सन् २०१६.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, २०१६

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम २०१६ है.

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

२. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १६ की उपधारा (२) में, द्वितीय परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्,—

धारा १६ का संशोधन.

“परन्तु यह भी कि किसी सहकारी बैंक के परिसमापन का कोई आदेश या समझौता या ठहराव या समामेलन या पुनर्गठन की किसी योजना को स्वीकृत करने वाला कोई आदेश रिजर्व बैंक की लिखित में पूर्व अनुमति से ही किया जाएगा.”

३. मूल अधिनियम की धारा ६९-क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा ६९-क का स्थापन.

“६९-क. इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, रजिस्ट्रार, यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम अधिनियम, १९६१ (१९६१ का ४७) की धारा १३-घ में वर्णित परिस्थितियों में या अन्यथा ऐसा अपेक्षित किया जाए, किसी सहकारी बैंक के परिसमापन का तत्काल आदेश देगा.”

सहकारी बैंक का परिसमापन.

४. मूल अधिनियम की धारा ६९-ख में,—

धारा ६९-ख का संशोधन.

(एक) पार्श्व शीर्ष में, शब्द “बीमाकृत बैंक” के स्थान पर, शब्द “बीमाकृत बैंक या अंतरिती बैंक” स्थापित किए जाएं;

(दो) उपबंध में दो बार आए शब्द “बीमाकृत बैंक” के स्थान पर, शब्द “बीमाकृत बैंक या अंतरिती बैंक” स्थापित किए जाएं.

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारतीय रिजर्व बैंक ने निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम अधिनियम, १९६१ (१९६१ का ४७) की धारा २ (छ छ) के उपबंधों के आलोक में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) को संशोधित करने का सुझाव दिया है. अतएव, अधिनियम को यथोचित रूप से संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है.

२. प्रस्तावित संशोधन निम्नानुसार हैं:—

खण्ड २— किसी सहकारी बैंक के परिसमापन या समझौता या ठहराव या सम्मेलन या पुनर्गठन की किसी योजना को रिजर्व बैंक की लिखित में पूर्व अनुमति से ही स्वीकृत किए जाने का उपबंध प्रस्तावित किया गया है.

खण्ड ३— किसी सहकारी बैंक के परिसमापन के लिए एक मास की समय-सीमा का लोप किया गया है.

खण्ड ४— निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम को पुनर्भुगतान के लिए अंतरिती बैंक को भी सम्मिलित किया गया है.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

धोपाल :

तारीख : २२ जुलाई २०१६

विश्वास सारंग

भारसाधक सदस्य.

